...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 161 /2022 तारीखरजू:– 6/9/22

उनवान:– देवेन्द्र बनाम राजेश

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
6/9/22	वादी की और से श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 28.09..2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	4968-82 6/9/22
28/9/22	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 6, 7 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया। एंव प्रतिवादी नं० 3, 8, 10, 12, 14 के नोटिस तामील स्वंय व परिवारजन से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है बावजूद सूचना कोई उप० नही हुआ। शेष प्रतिवादी नं० 1, 2, 4, 5, 9, 11, के नोटिस तामील विधिवत नही हुए है पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को हिदायत दी गई। एंव प्रतिवादी नं० 13, 15 के नोटिस तामील होकर प्राप्त नही हुए है वास्ते इन्तजार तलबी एंव जवाब पेश करने दिनांक 21.10.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित [illegible] प्रतिवादी नं० 1, 2, 4, 5, 9, 11 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को हिदायत दी गई। वास्ते तलबी एंव जवाब पेश करने दिनांक 15.11.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:32 IST
Reason: SelfAttested

करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला–करौली

फर्द अहकाम

6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। प्रतिवादी नं० 11 ने गत पेशी पर उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। बावजूद सूचना उप० नहीं हुआ। इसलिए उक्त के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते जवाब दिनांक 28.6.24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी नं० 6,7 की ओर से जवाब पेश किया गया। नकल वादीवकील को दिलाई गई। वास्ते तनकीयात दिनांक 09-7-24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

9.7.24 वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी ....भ्रमण पर पधारे है।
पत्रावली गतानुसार दिनांक ...29.7.24
को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील व वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार-2 आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी का दावा घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:32 IST
Reason: SelfAttested